न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री श्रवणसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 03/2018/अपील

उनवान

1. शिवसिंह पि. कानजी जाति राजपूत नि. सेमली चौहान
2. परवतसिंह पि. हरीसिंह जाति राजपूत नि. सेमली चौहान

बनाम

1. रामलाल पि. बापूलाल जाति सोंधिया नि. सेमली चौहान
2. राज सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा

अपील बराराजगी आदेश दिनांक 05.12.2012
नामा0सं. 1176 ग्राम पंचायत हरनावदागजा

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री नीलकमल त्रिवेदी

आदेश दिनांक : 7.7.20.

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत हरनावदागजा द्वारा निर्णित नामा.सं. 1176 दिनांक 05.12.2012 के विरूद्ध अपील पेश निवेदन किया कि ग्राम सेमली चौहान की आराजी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1660/41 रकबा 5 बीघा भूमि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है जो कि नामा.सं. 1176 से आयी है इसलिये उक्त नामा.वादग्रस्त है। अपीलांटस द्वारा कभी भी उक्त आराजी का बेचान नहीं किया है एवं रेस्पोडेन्ट के पक्ष में रजिस्ट्री तस्दीक नहीं करवायी है फिर भी रेस्पोडेन्ट ने अपने पक्ष में बेचान रजिस्ट्री का नामा.सं. 1176 दि. 05.12.2012 तस्दीक करवा लिया है। नामा.सं. 1176 गलत तरीके से तस्दीक होकर वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम गलत दर्ज हुई है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत हरनावदागजा दिनांक 05.12.2012 नामा सं. 1176 खारीज कर अपीलांटस का नाम दर्ज किया जावे। अपील के साथ नामा.सं. 1176 की प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब करने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा अतः उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाब पेश किया जिसमें उन्होने असल दस्तावेज पेश करने एवं जवाब देने हेतु उभय पक्षकार को तलब किया

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

साथ तत्कालीन पटवारी को भी जवाब पेश करने हेतु निर्देशित किया। पक्षकारान द्वारा असल दस्तावेज या छायाप्रति पेश नहीं की। पटवारी हल्का द्वारा अपना जवाब पेश कर बताया कि उसके द्वारा उक्त दस्तावेज की छायाप्रति के आधार पर नामा.दर्ज किया। तहसीलदार पिडावा द्वारा बताया कि कार्यालय हाजा के पंजीयन विभाग से उक्त दस्तावेज में दर्ज पंजीयन कमांक का मिलान करने पर रजिस्ट्रेशन नं. 2012001830 अनुसार दिनांक 05.12.2012 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 187 में पृष्ठ सं. 151 कम संख्या 2012001830 पर जो बेचान पत्र पंजीबद्ध है उसमें विक्रेता रामलाल पि. मेहताबसिंह वगै. नि. मेना तहसील सुसनेर मध्य प्रदेश एवं केता सूरतबाई पत्नि मानसिंह सोंधिया हरनावदागजा के नाम दर्ज है जो कि प्रस्तुत अपील के पक्षकार से भिन्न है एवं जिस दस्तावेज के आधार पर नामा.सं. 1176 दर्ज किया है उस दस्तावेज से भिन्न है। जांच में उक्त अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य वादग्रस्त आराजी के बेचान का कोई दस्तावेज भी नहीं मिला। इस प्रकार नामा.सं. 1176 में उल्लेखित दस्तावेज सही प्रतीत नहीं होता है एवं उक्त दस्तावेज के आधार पर दर्ज नामा.सं. 1176 भी गलत रूप से दर्ज किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामा.सं.1176 निरस्त करने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली में धारा 6(1) रहन नामा पत्र व जमाबंदी नकल पेश की गई।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम सेमली चौहान की आराजी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1660/41 रकबा 5 बीघा भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 1176 जिस रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया है उसकी असल/छायाप्रति पत्रावली में नहीं है जिससे उक्त दस्तावेज पर संदेह होता है। तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट अनुसार भी नामा.सं. 1176 में उल्लेखित दस्तावेज सही प्रतीत नहीं होता है एवं उक्त दस्तावेज के आधार पर दर्ज नामा.सं. 1176 भी गलत रूप से दर्ज किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है एवं नामा.सं. 1176 निरस्त करने की अनुशंषा की गई है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम सेमली चौहान की आराजी ख.नं. 1660/41 रकबा 5 बीघा भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 1176 दि. 05.12.2012 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पिडावा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकार यदि असल दस्तावेज पेश करें तो जांच कर नये

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें। बैंक का रहन भार संबंधित कृषक की अन्य भूमि पर दर्ज रहेगा।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(श्रवण सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़, (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrawan Singh
Date: 2020.07.09 16:16:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: